

टेलीफैक्स +91-135-2744064, 2743331
Telefax
वेबसाइट www.surveyofindia.gov.in
Website
ई-मेल sgo soi@gov.in
E-Mail sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं० 37,
Hathibarkala Estate, Post Box No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA
दिनांक: 27 सितम्बर, 2021

सं०सी-4893 /707/संग्रह-77

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: विशिष्ट क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पूर्वोत्तर क्षेत्र/ एन०आई०जी०एस०टी०/ पूर्वी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र।

निदेशक: राष्ट्रीय जी०डी०सी०/कर्नाटक जी०डी०सी०/ असम एवं नागालैण्ड जी०डी०सी०/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०सी०/पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/ हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/ पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०/डी०एम०सी०/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी०डी०सी०/बिहार जी०डी०सी०।

विषय: अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।


निम्नलिखित ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) डिविजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक (राजपत्रित) के पद पर पे मेट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम एवं पद	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri Ajay Kumar Tyagi	National GDC, Dehradun	Northern Zone, Chandigarh	—
2.	Shri A Srinivasa Rao	Karnataka GDC, Bengaluru	AP & T GDC, Hyderabad	—
3.	Shri Tarun Deka	A&N GDC, Guwahati	M&AP GDC, Shillong	—
4.	Shri Anup Bhattacharjee	M&AP GDC, Shillong	WB&S GDC, Kolkata	—
5.	Shri Utpal Paul	M&AP GDC, Shillong	East UP GDC, Lucknow	—
6.	Shri Jitendra Kumar Singh	NIGST, Hyderabad	GDD GDC, Gandhinagar	—
7.	Shri Ansuman Sarkar	WB&S GDC, Kolkata	M&AP GDC, Shillong	—
8.	Shri Anand Kumar	HP GDC, Chandigarh	DMC, Dehradun	—
9.	Shri Arvind Singh Bisht	National GDC, Dehradun	J&K GDC, Jammu	—
10.	Shri Vijay Kumar-I	PH&C GDC, Chandigarh	UK&WUP GDC, Dehradun	—
11.	Shri H S Chakraborty	WB&S GDC, Kolkata	Jharkhand GDC, Ranchi	—
12.	Shri Vineet Kumar	DMC, Dehradun	East UP GDC, Lucknow	—
13.	Shri Dinesh Kumar-II	S(A)&D GDC, New Delhi	Rajasthan GDC, Jaipur	—
14.	Shri Ram Kewal Prasad	Bihar GDC, Patna	East UP GDC, Lucknow	—
15.	Shri Jarnail Singh Banga (SC)	HP GDC, Chandigarh	UK&WUP GDC, Dehradun	—

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) (द्विभाषीय/Bilingual) की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजी जानी हैं। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए, यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं। As per para 14 (xii) of Transfer Policy 2015 "The station is to be changed on promotion from Group C to Group B, therefore tenure at the station should be minimum of five years extendable to maximum seven years".

30/10

3. नई तैनाती में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित अधिकारियों से लिखित में स्पष्ट रूप से प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक **14-10-2021** तक अवश्य प्रेषित करें। उपरोक्त सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तिथि से **एक वर्ष** की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा तथा उनकी वरिष्ठता समाप्त करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
4. अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त अधिकारी अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
5. यदि उपरोक्त में से किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश कार्यान्वित न किए जाएं ।
6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए FR(I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR(I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उन्हें पदोन्नति पर वेतन नियतन के लिए FR(I)(a)(1) का लाभ नहीं दिया जायेगा ।
7. *These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36021/11/2016-Estt.(Res) dated 30-09-2016 and DST's No.SM/02/10/2017 dated 07-07-2017 (copies enclosed). The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.*
8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अधिकारी के सेवा पंजिका (**Service Book**) में रिकार्ड कर सेवा अभिलेखों के साथ संलग्न करें ।


 (डा० यू०एन० मिश्र) 27/12/21
 उप महासर्वेक्षक
 कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. **अपर महासर्वेक्षक:** पश्चिमी क्षेत्र।
2. **निदेशक:** आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी०/पूर्वी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/गुजरात, दमन एवं दीव जी०डी०सी०/जम्मू एवं कश्मीर जी०डी०सी०/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/झारखण्ड जी०डी०सी०/राजस्थान जी०डी०सी०।
3. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता।
5. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक (म०स०का०)।
6. **कार्यालय अधीक्षक:** स्थापना-1/प्रशासन एवं वेतन/जे०सी०एम० अनुभाग/गोपनीय सहायक (म०स०का०)
7. महासचिव, सर्वेयर्स एसोसिएशन।
8. वैब एडमिन, म०स०का०/इंचार्ज, ई-ऑफिस, म०स०का०।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter.

Place:

Dated:

Signature:

Name:

Address of Office

Countersigned by Addl SG/Director

वचन पत्र

में अधोहस्ताक्षरी यह वचन देती हूं कि मैं Contempt Petition (C) No.3061/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter के निर्णय का पालन करूंगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

टेलीफैक्स +91-135-2744064, 2743331
Telefax
वेबसाइट www.surveyofindia.gov.in
Website
ई-मेल sgo soi@gov.in
E-Mail sgo.conf soi@gov.in



भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय
Office of the Surveyor General of India
हाथीबड़कला एस्टेट, डाक बक्स सं० 37,
Hathibarkala Estate, Post Box No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-3729/707/Coll.76

दिनांक: 29 जुलाई, 2021

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ विशिष्ट क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/ एन०आई०जी०एस०टी०/ पश्चिमी क्षेत्र/मध्य क्षेत्र।

निदेशक: झारखंड जी०डी०सी०/पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०/केरल एवं लक्षद्वीप जी०डी०सी०/ ज्योडीय एवं असंधान शाखा/असम एवं नागालैण्ड जी०डी०सी०/हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/गुजरात, दमन एवं दीव जी०डी०सी०/बिहार जी०डी०सी०/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/उड़ीसा जी०डी०सी०/त्रिपुरा, मणिपुर एवं मीजोरम जी०डी०सी०/पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी०डी०सी०/हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०/ डी०एम०पी०/ एम०ए०डी०सी०/राजस्थान जी०डी०सी०/तमिलनाडू, पुदुचैरी एवं अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह जी०डी०सी०/छत्तीसगढ़ जी०डी०सी०/मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी०डी०सी०/राष्ट्रीय जी०डी०सी०।

स्थापना एवं लेखा अधिकारी (प्रशासन), म०स०का०

विषय: अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-1 अधिकारियों को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मेट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Shri K S P Sinha (SC)	Jharkhand GDC, Ranchi	Bihar GDC, Patna	30-07-21
2.	Shri P K Das	WB&S GDC, Kolkata	East UP GDC, Lucknow	30-07-21
3.	Shri K G Unnikrishnan	K&L GDC, Thiruvananthapuram	Printing Zone, Hyderabad	30-07-21
4.	Shri D Ghosh	WB&S GDC, Kolkata	M&AP GDC, Shillong	30-07-21
5.	Shri M M Rawat	G&RB, Dehradun	J&K GDC, Jammu	30-07-21
6.	Shri Biswajit Das	A&N GDC, Guwahati	M&AP GDC, Shillong	30-07-21
7.	Shri Shamsher Singh	HP GDC, Chandigarh	UK&W UP GDC, Dehradun	30-07-21
8.	Shri K C Parekh	GDD GDC, Gandhinagar	Rajasthan GDC, Jaipur	30-07-21
9.	Shri H N Rawat	Bihar GDC, Patna	MP GDC, Jabalpur	30-07-21
10.	Shri Sunil Kumar-I (SC)	UK&WUP GDC, Dehradun	S(A)&D GDC, New Delhi	30-07-21
11.	Shri Sanjib Debnath	WB&S GDC, Kolkata	East UP GDC, Lucknow	30-07-21
12.	Shri Santanu Dutta	WB&S GDC, Kolkata	M&AP GDC, Shillong	30-07-21
13.	Shri Sumit Bhadra	NIGST, Hyderabad	A&N GDC, Guwahati	30-07-21
14.	Shri Alok Baliyar Singh	O GDC, Bhubaneswar	Chattisgarh GDC, Raipur	06-11-21
15.	Shri Dharmendra Kumar Patel	Jharkhand GDC, Ranchi	A&N GDC, Guwahati	—

30/10

क्र. सं.	नाम एवं पद	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
16.	Shri Ashok Kumar Das (SC)	TMMz GDC, Silchar	Jharkhand GDC, Ranchi	—
17.	Shri Anoop Pathak	PH&C GDC, Chandigarh	DMC, Dehradun	—
18.	Shri Kanwaljeet Singh	PH&C GDC, Chandigarh	SGO, Dehradun	—
19.	Shri Pankaj Kumar Thakur	Bihar GDC, Patna	National GDC, Dehradun	—
20.	Shri Raj Kumar	HP GDC, Chandigarh	National GDC, Dehradun	—
21.	Shri Manoj Oraon (ST)	Jharkhand GDC, Ranchi	Central Zone, Jabalpur	—
22.	Shri O P Maithani	DMP, Dehradun	DMP, Dehradun	—
23.	Shri R S Aswal	UK&WUP GDC, Dehradun	Northern Zone, Chandigarh	—
24.	Shri K S Chauhan	MA&DC, Dehradun	MA&DC, Dehradun	—
25.	Shri G Jones	Rajasthan GDC, Jaipur	UK&WUP GDC, Dehradun	—
26.	Shri M N Ramesh Natha Rao	Southern Zone, Bangalore	AP&T GDC, Hyderabad	—
27.	Shri V Arvind Mukkolu (ST)	Central Zone, Jabalpur	UK&W UP GDC, Dehradun	—
28.	Shri Sunau Kond (ST)	Chattisgarh GDC, Raipur	DMC, Dehradun	—
29.	Shri Yogesh Kumar Dhruw (ST)	Chattisgarh GDC, Raipur	GDD GDC, Gandhinagar	—
30.	Shri Sudipta Kanji Lal	WB&S GDC, Kolkata	East UP GDC, Lucknow	—
31.	Shri Dipankar Sen	M&AP GDC, Shillong	Central Zone, Jabalpur	—
32.	Shri Susanta Roy	WB&S GDC, Kolkata	Jharkhand GDC, Ranchi	—
33.	Shri Parmesh Bisht	SGO, Dehradun	East UP GDC, Lucknow	—
34.	Shri Rajesh Rana	National GDC, Dehradun	Rajasthan GDC, Jaipur	—
35.	Shri Bhupen Borah	A&N GDC, Guwahati	NEZ, Shillong	—
36.	Shri Sanjeev Oraon (ST)	Jharkhand GDC, Ranchi	MA&DC, Dehradun	—
37.	Shri Om Prakash-I (SC)	National GDC, Dehradun	J&K GDC, Jammu	—
38.	Shri G John Thilakar (SC)	TNP&ANI GDC, Chennai	AP&T GDC, Hyderabad	—
39.	Shri Ajit Malakar (SC)	A&N GDC, Guwahati	Bihar GDC, Patna	—
40.	Shri Naresh Kumar (SC)	UK&WUP GDC, Dehradun	J&K GDC, Jammu	—
41.	Shri S Vinod Kumar (SC)	NIGST, Hyderabad	GDD GDC, Gandhinagar	—
42.	Shri Rajender Kumar (SC)	PH&C GDC, Chandigarh	UK&WUP GDC, Dehradun	—
43.	Shri Pramod Kumar – I (SC)	Rajasthan GDC, Jaipur	Specialized Zone, Dehradun	—
44.	Shri Om Prakash – II (SC)	PH&C GDC, Chandigarh	DMC, Dehradun	—
45.	Shri Baleshwar Ram (SC)	Bihar GDC, Patna	Bihar GDC, Patna	—

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा कार्यभार ग्रहण करने के प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भेजा जाना है। इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए। यदि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि वह पदोन्नति अस्वीकार करते हैं। As per para 14 (xii) of Transfer Policy 2015 "The station is to be changed on

20/10

promotion from Group C to Group B, therefore tenure at the station should be minimum five years extendable to maximum seven years".

3. नई तैनाती में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। पदोन्नति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्ट तरीके से लिखित रूप में प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 16-08-2021 तक अवश्य सूचित करें। उपरोक्त सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उन्हें इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/5/86-स्था०(डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।
4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात् यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
5. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।
6. उपरोक्त व्यक्तियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ०आर०22(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।
7. *These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36021/11/2016-Estt.(Res) dated 30-09-2016 and DST's No.SM/02/10/2017 dated 07-07-2017 (copies enclosed). The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011(Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.*
8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न *Undertaking* प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की *Service Book* में रिकार्ड हेतु रखें।



(डा० यू०एन० मिश्र 29/7/21)

उप महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. **अपर महासर्वेक्षक:** मुद्रण क्षेत्र।
2. **निदेशक:** पूर्वी उत्तर प्रदेश जी०डी०सी०/जम्मू एवं कश्मीर जी०डी०सी०/मध्य प्रदेश जी०डी०सी०/सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली जी०डी०सी०/डी०एम०सी०/आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जी०डी०सी०।
3. लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून।
4. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर/हैदराबाद/कोलकाता।
5. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक (म०स०का०)।
6. **कार्यालय अधीक्षक:** स्थापना-1/प्रशासन एवं वेतन/जे०सी०एम० अनुभाग/गोपनीय सहायक (म०स०का०)
7. महासचिव, सर्वेयर्स एसोसिएशन।
8. वैब एडमिन, म०स०का०/इंचार्ज, ई-ऑफिस, म०स०का०।

UNDERTAKING

I the undersigned do hereby undertake that I shall abide by the outcome of Contempt Petition (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter.

Place:

Dated:

Signature:

Name:

Address of Office

Countersigned by Addl SG/Director

वचन पत्र

में अधोहस्ताक्षरी यह वचन देती हूं कि मैं Contempt Petition (C) No.3061/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court cases in connected matter के निर्णय का पालन करूंगा।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर:

कर्मचारी का नाम:

कार्यालय:

अपर महासर्वेक्षक/निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित